सरकारी/निजी सहसम्पर्क द्वारा ग्रामीण विकासः डॉ0 कलाम का पुरा मॉडल एवं उसका चिन्तन

गुंजन पाण्डेय
एसोसिएट प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, अर्थशास्त्र विभाग
बी0एस0एन0वी0 पी0जी0 कॉलेज, लखनऊ–226001, उ0प्र0, भारत
shagunplus1@yahoo.com

प्राप्त तिथि– 31.07.2015, स्वीकृत तिथि– 10.09.2015

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने 11वीं योजना की शेष अवधि के दौरान **"ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं का प्रावधान(पुरा)"** नामक योजना(मॉडल) को केन्द्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में पुनः शुरु किया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय का **पुरा(प्रोवीजन्स ऑफ अर्बन एमेनिटीज इन रूरल एरियाज, पी.यू.आर.ए.)** योजना को आर्थिक कार्य विभाग की सहायता तथा एशियाई विकास बैंक की तकनीकी सहायता से ग्राम पंचायत(पंचायतों) तथा निजी क्षेत्र के भागीदारों के बीच सार्वजनिक निजी क्षेत्र भागीदारी स्वरूप के अंतर्गत कार्यान्वित करने का विचार है। इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण आधारभूत सुविधाओं के विकास तथा आर्थिक कार्यकलापों के बीच सामंजस्य स्थापित करने की परिकल्पना की गई है तथा ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक–निजी क्षेत्र की भागेदारी के माध्यम से आधारभूत सुविधाओं के विकास संबंधी योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु विभिन्न प्रकार का ढांचा उपलब्ध कराने और परिसम्पत्तियों के प्रबंधन एवं सेवाओं की सुपुर्दगी में निजी क्षेत्र की दक्षता बढ़ाने की कोशिश की जायेगी।

भारतीय विज्ञान कांग्रेस–2006 में पुरा मॉडल का तत्कालीन राष्ट्रपति प्रो0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम ने विचार प्रस्तुत किया। 100 ग्रामीण क्षेत्रों में इस योजना को शिक्षा संस्थाओं द्वारा लागू किया जाना उद्देश्य बनाया गया तथा रू0 5 करोड़ प्रत्येक पुरा समूह के लिए आवंटित किये गये।

पुरा योजना की विशेषता

1. ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना
2. ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर सुविधाएँ उपलब्ध कराना
3. सी0आई0आई0 तथा पंचायती राज मंत्रालय के सहयोग से ग्रामीण व्यापारी केन्द्रों का विकास
4. लघु पैमाने के उद्योगों के ध्रुवों का विकास, ग्रामीण उद्योगों को प्रोत्साहन
5. भूमि के प्रयोग को नियन्त्रित करना जिससे वह शहरी समूहों में न परिवर्तित हो जाए
6. भौतिक रूप से गाँवों को भली–भाँति एक दूसरों के साथ जोड़ना जिससे रोजगार के अवसर और सुविधाएँ सभी को उपलब्ध हो सके।

पुरा समूह चुनाव की आवश्यक शर्तें

1. भूमि प्रकार के आधार पर– मैदानी क्षेत्र, समुद्री किनारे का क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र, वन क्षेत्र, रेगिस्तानी क्षेत्र।

क्षेत्रीय अन्तर के आधार पर लचीलापन पुरा समूहों के चयन में निभाया जाता है।

2. पुरा का संरचनात्मक ढांचा सम्पूर्ण भारत में एक सा लागू किया जाएगा पर क्षेत्रीय असमानताओं का ध्यान रखा जाएगा।

पुरा की विषय वस्तु– ग्रामीण जनसंख्या– 30000–100000, अपवाद– पहाड़ी, वन तथा रेगिस्तानी क्षेत्रों में 10,000–20000 (15–20 पंचायतों, ग्राम अधिकारियों, ग्राम समितियां)

विकास के घटक– गरीबी, स्वच्छ पेय जल, शिशु मृत्यु दर।

भौतिक क्षेत्रीय अन्तरसम्बन्ध– सम्पूर्ण पुरा समूहों में आधारभूत ढांचे का विकास जैसे–

1. सड़क, स्कूल, समुदाय केन्द्र, मकान, अस्पताल, बाजार
2. कोल्ड स्टोरेज, समग्र जल स्त्रोत विकास, व्यापारिक केन्द्रों का निर्माण
3. सूचना और तकनीकी सम्बन्धी आधारभूत ढांचे का विकास तथा बी0पी0ओ0 और काल सेन्टरों से पूर्ण रूप से उनके माध्यम से सम्पर्क

भौतिक आधारभूत ढांचे का निर्माण सरकार द्वारा निम्न उदाहरणों पर किया गया है–

1. मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा नवोदय स्कूलों का निर्माण
2. स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा परिष्कृत अस्पतालों टेली–चिकित्सा इकाइयों तथा मोबाइल चिकित्सा हेतु वैनों की व्यवस्था की जा सकती है।
3. सूचना तथा तकनीकी मंत्रालय द्वारा गाँवों में ज्ञान केन्द्रों का निर्माण किया जाएगा जिनका वायरलेस सुविधा द्वारा ब्लॉक स्तर पर बी0पी0ओ0 तथा काल सेन्टरों से सम्पर्क बनाया जाएगा।
4. पंचायती राज मंत्रालय द्वारा ग्रामीण व्यापारिक केन्द्रों को सी0आई0आई0 की सहभागिता द्वारा स्थापित किया जाएगा।
5. पक्का घर
6. साक्षरता, औपचारिक शिक्षा
7. जीवन की प्रत्याशा
8. प्रति व्यक्ति आय

पुरा समूह का चुनाव का आधार परिस्थिति विश्लेषण योजना तथा संसाधनों पर आधारित है।

परिस्थिति का विश्लेषण

1. बेरोजगारी की स्थिति– बेरोजगार स्नातक/आई0टी0आई0/डिप्लोमा धारक/अप्रशिक्षित मजदूर/अल्परोजगार आदि।
2. गाँवों तक पहुँच
3. जनता के लिए आधारभूत ढांचे की उपलब्धता–सड़कों, जल प्रपत्रों की जनसंख्या के संदर्भ में मात्रा तथा गुणवत्ता।

संसाधनों का विश्लेषण

1. भूमि के प्रयोगों का ब्योरा
2. जल प्रपातों, बांधों तथा जल मार्ग का ब्योरा
3. कृषि का स्तर
4. पशुपालन तथा पशुसंसाधन
5. उस क्षेत्र की कुशलता का ब्यौरा
6. बाजार में कुशल श्रमिकों की मांग तथा उनकी पूर्ति की सम्भावना
7. शैक्षिक तथा स्वास्थ्य संस्थाओं की उपलब्धता।
8. कृषि केन्द्रों का निर्माण जिससे कृषि सम्बन्धी उचित ज्ञान, उचित समय पर प्रदान किया जा सके।
9. कृषि उत्पादन के बेहतर तरीकों की सूचना भी कृषि केन्द्रों से प्रदान की जा सकेगी।
10. आवश्यक बाजारों तक किसानों की पहुँच समूह के भीतर जिलों में, राज्य स्तर पर राष्ट्र में तथा निर्यातों द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में।
11. ई–गवर्नेन्स तक नागरिकों की पहुँच जिससे सरकार की सेवाओं/सुविधाओं का गाँव के नागरिकों को भी लाभ हो सके।
12. तकनीक का हस्तान्तरण, अनुसंधान तथा विकास संस्थाओं द्वारा ग्रामीण उद्यमियों को उपलब्ध कराना जिससे गुणवान उत्पादों के निर्माण विकास, उत्पादन तथा विपणन का कार्य सम्भव हो सके।

ज्ञान के स्रोत– कृषि विश्वविद्यालय, अनुसंधान एवं विकास संगठन, विश्वविद्यालय, उद्योग, कृषि बाजार, किसान कॉल सेन्टर, सरकार–2–नागरिक(जी.2.सी) जुड़ाव, व्यापार–2–नागरिक जुड़ाव, गैर सरकारी संगठन, स्वास्थ्य संस्थाएं, आपदा प्रबन्धन संस्थाएं।

इलेक्ट्रॉनिक सहसम्पर्क

1. नेटवर्क अन्तरसम्पर्क गाँवों के समूहों में स्थापित करना– ब्रॉडबैंड, वी.एस.ए.टी. वायरलेस तकनीक द्वारा पुरा ध्रुवों से गाँवों को जोड़ना।
2. पुरा ध्रुव के निर्माण के पश्चात प्रमुख सेवा संस्थाओं जैसे कृषि सेवा, जिसमें आपदा प्रबन्धन सेवा, विपणन तथा उद्योग सम्मिलित हैं से सम्पर्क में राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर विपणन के सम्बन्ध स्थापित हो सकेंगे।
3. पुरा समूहों को सेवाओं हेतु एकल सेवा केन्द्र अथवा गाँवों के ज्ञान केन्द्रों से जुड़ना पड़ेगा।
4. बी.एस.एन.एल./एम.टी.एन.एल. ब्लॉक स्तर पर ब्रॉडबैंड अन्तरसम्पर्क का माध्यम बनेगा। तत्पश्चात् निजी उद्यमियों की भी सूचना और तकनीक तथा दूरसंचार क्षेत्र से सम्बन्धित मांग में भी सहभागिता हो सकेगी।

ज्ञान का सहसम्पर्क

1. मूल्य सम्वृद्धि सेवाओं को किसानों, कारीगरों तथा उद्यमियों को उपलब्ध करना।
2. शिक्षा/प्रशिक्षण, कुशलताओं का विकास, ज्ञान का सशक्तीकरण तथा उद्यमियों का विकास।
3. मानव संसाधन का विकास जिससे प्रशिक्षित तथा ज्ञानी श्रमशक्ति की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके।
4. टेली–चिकित्सा के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं को ग्रामीण अंचलों में उपलब्ध कराना। सम्बन्धी पौधों की गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके।
5. आई.टी.आई. संस्थाओं को प्रोत्साहित किया जाना जिससे प्रशिक्षित तथा तकनीकी रूप से नागरिकों को कुशल बनाया जा सके जो राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर कर्मचारियों की मांग को पूरा कर सके।
6. ग्रामीण बी0पी0ओ0 इकाइयों तथा काल सेन्टरों द्वारा मूल्य संवृद्धि सेवाओं को उपलब्ध कराना।

पुरा योजना के उदाहरण

1. **ओ.एन.जी.सी. पुरा**– तेल के कुओं तथा गैस के कुओं के निकट, 10 करोड़ का कोष ओ.एन.जी.सी. द्वारा बनाया गया है तथा छः राज्यों के पिछड़े गाँवों में शहरी सुविधाएं उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। राज्य हैं: आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, राजस्थान, आसाम, तथा त्रिपुरा।
2. **अक्षरधाम पुरा**– 1000 अक्षरधाम पुरा का लक्ष्य है। जिसमें अगले 5 वर्ष देश के ग्रामीण अंचलों में शहरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, जिसका नेतृत्व आध्यात्मिक गुरू प्रमुख स्वामी जी महाराज करेंगे।

आर्थिक सहसम्पर्क

1. उद्यमियों द्वारा पुरा समूहों में कृषि, सेवा तथा विनिर्माण क्षेत्रों में ग्रामीण उद्योगों की स्थापना
2. सरकारी/निजी उद्योगों द्वारा कोल्ड स्टोरेज सुविधाओं की स्थापना तथा उत्पादों की मांग के आधार पर बाजार में विक्रय करना
3. उद्यमियों द्वारा पुरा समूहों में लोगों को मूल्य संवृद्धि सेवाओं को व्यापार, विपणन, सेवा क्षेत्र, शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में उपलब्ध कराना
4. भौतिक आधारभूत ढांचे का पुरा समूहों में ग्रामीण रोजगार पर आधारित योजनाओं के सहारे स्थापित करना। इसका आधार पुरा विकास योजना पर निर्भर होगा
5. कृषि खाद्यान्न सम्बन्धित उत्पादों की इकाइयों की स्थापना सरकार/निजी उद्योगों के द्वारा
6. जैव–ईंधन उद्योगः सार्वजनिक निजि सहभागिता द्वारा जैव ईंधन उद्योगों की स्थापना, जत्रोफा बागानों तथा जैव ईंधन (तेल) दोहन इकाइयों को प्रोत्साहन तथा जैव ईंधन पौधों की खेती पर विशेष बल देना आदि।
7. सरकार द्वारा गुणवत्ता प्रबन्धन केन्द्रों की स्थापना करना जिससे कृषि उत्पाद, फल, बाग, निर्मित खाद्यान्न तथा दवा उपलब्ध कराना।
8. सरकारी पुराः केरल तटीय पुरा, छत्तीसगढ़ पुरा
9. संस्थागत पुराः पेरियार पुरा, लोनी पुरा
10. विशेष उद्योग पुरा
11. ग्रामीण पर्यटन के आधार पर पुराः जैसे–राजस्थान, सिक्किम
12. बांस के आधार पर पुराः जैसे–मनीपुर, नागालैण्ड
13. जट्रोफाः जैव–ईंधन के आधार पर पुरा(5 प्रदेश) हैन्डलूम तथा हस्तशिल्प के आधार पर पुरा
14. तटीय पुरा
15. पर्वतीय पुरा
16. मैदानी क्षेत्र हेतु पुरा
17. रेगिस्तान के लिए पुरा(राजस्थान)

निष्कर्ष

पुरा का विचार सराहनीय है क्योंकि इसके द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक रोजगार के अवसर, बेहतर सुविधाएँ उपलब्ध कराना है। सी0आई0आई0 तथा पंचायती राज मंत्रालय के सहयोग से ग्रामीण व्यापारी केन्द्रों का विकास सम्भव हो पाएगा। लघु पैमाने के उद्योगों के ध्रुवों का विकास, ग्रामीण उद्योगों को प्रोत्साहन मिलेगा। भूमि के प्रयोग को नियन्त्रित किया जा सकेगा जिससे वह शहरी समूहों में न परिवर्तित हो जाए। भौतिक रूप से गाँवों को भली–भांति एक दूसरों के साथ जोड़ना जिससे रोजगार के अवसर और सुविधाएँ सभी को उपलब्ध हो सकेंगी।

संदर्भ

1. कलाम, ए0 पी0 जे0 अब्दुल एवं यादव, वाई0 एस0(2014) इण्डिया–2020, ए विजन ऑफ द न्यू मिलेनियम, पेन्गुइन बुक्स लिमिटेड।
2. कलाम, ए0 पी0 जे0 अब्दुल एवं तिवारी, अरुण(1999) विंग्स ऑफ फायर, यूनिवर्सिटी प्रेस, हैदराबाद।
3. राजवंशी, अनिल के0(1995) एनर्जी सैल्फ–सफीशिएंट तालुकाज– ए सौल्यूशन टू नैशनल एनर्जी क्राइसिस, इकोनॉमिक एण्ड पॉलिटिकल वीकली, खण्ड–30, अंक–51।
4. राजवंशी, अनिल के0(2002) तालुकाज कैन प्रोवाइड क्रिटिकल मास फॉर इण्डियाज सस्टेनेबल डेवेलपमेंट, करेंट साइंस, खण्ड–82, अंक–6, मु0पृ0 632–637।
5. "इलैवन्थ फाइव इयर प्लान 2007–2012", रिपोर्ट, अक्टूबर 2012, उपलब्ध– *Planningcommission.nic.in*
6. "प्रोवीजन्स ऑफ अर्बन एमेनिटीज इन रूरल एरियाज(पी0यू0आर0ए0)", अक्टूबर 2012, पीडीएफ उपलब्ध– pura.net.in
7. "प्राइवेट कंपनीज ज्वाइंड हैंड्स विद सेंटर फॉर पुरा", तेलुगूपीपुलडॉटकॉम, 11 अक्टूबर, 2010, अक्टूबर, 2012।
8. "डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवेलपमेंट एजेन्सी(डी.आर.डी.ए.)", पी.डी.एफ. उपलब्ध– *Angul.nic.in,* 17 मार्च, 1997, अक्टूबर, 2012।
9. बैनर्जी, देविका(11 अक्टूबर, 2011) प्रोविजन ऑफ अर्बन एमेनिटीज इन रूरल एरियाज माइट बी एक्सटेंडेड टू 2000 न्यू टाउन्स आईडेन्टीफाइड इल 2011 सेंसस, द इकोनॉमिक टाइम्स, अकटूबर 2012।
10. इंटरनेट स्रोत।